

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़—रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 से किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण।

प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण क्षेत्रफल—3.555 हेक्टेयर
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगना क्षेत्रफल— 7.110 हेक्टेयर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम हल्दयानी में खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये 7.110 हेक्टेयर भूमि चिन्हित स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उक्त भूमि नॉन ज्येड 0 ए 0 श्रेणी 9(3) ड कृषि योग्य अन्य बंजर के रूप में राज्य सरकार के नाम दर्ज है।

Prakash

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा

वन प्रभाग अल्मोड़ा

अल्मोड़ा वन प्रभाग

अल्मोड़ा

[Signature]
वन प्रभाग अल्मोड़ा, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

[Signature]
क्षतिपूरक

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़—रातीघाट मोटर मार्ग के किमी० 6 से किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण।

प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण क्षेत्रफल—3.555 हेक्टेयर
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगना क्षेत्रफल— 7.110 हेक्टेयर

दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

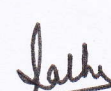
प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05.01.2021 को उक्त मोटर मार्ग के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी नैनीताल महोदय के पत्रांक 305/ज्येड० ए०सी०/2020-21 दिनांक 23.09.2020 के आदेश के क्रम में ग्राम हल्दयानी में खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये 7.110 हेक्टेयर भूमि चयनित कर उपलब्ध कराया गयी है, जिसके क्रम में उक्त स्थल का राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया। यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।

उक्त भूमि नॉन ज्येड०ए०श्रेणी 9(3)ड कृषि योग्य अन्य बंजर के रूप में राज्य सरकार के नाम दर्ज है।


Ameen
C.P.W.D
NTL




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.

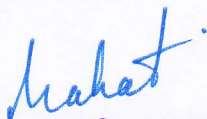

अभियांती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.




24/12/20
रानीखेत
जनपद नैनीताल


वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन निर्माण, रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ, रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6 किमुपानी थानेदेव सैमधार के सैम मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 7.11 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2021 एवं उसके साथ नायब तहसीलदार, बेतालघाट, राजस्व उपनिरीक्षक, जोशीखोला, लो०नि०विभाग के जेई व वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04-01-2021 के क्रम में ग्राम हल्दयानी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के नॉन० ज्येड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)इ अन्तर्गत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 2756 मध्ये रकवा 07.11 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, बेतालघाट तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(कैलाश सिंह टोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 82 / 12-ज्येड०ए०सी० / 2020-21

दिनांक 28 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली।
- 4- तहसीलदार, कौश्यों कुटौली।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ, रातीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 6 किमुपानी थानेदेव सैमधार के सैम मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 7.11 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2021 एवं उसके साथ नायब तहसीलदार, बेतालघाट, राजस्व उपनिरीक्षक, जोशीखोला, लो०नि०विभाग के जेई व वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04-01-2021 के क्रम में ग्राम हल्दयानी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के नॉन० ज्येड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)इ अन्तर्गत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 2756 मध्ये रकवा 07.11 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, बेतालघाट तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(कैलाश सिंह टोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 82 / 12-ज्येड०ए०सी० / 2020-21

दिनांक 28 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, कौश्यों कुटौली।
- 4- तहसीलदार, कौश्यों कुटौली।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।